आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के तहत जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश संख्या–995 दिनांक 27 मार्च 2018 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतियॉं जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश दिनांक 06.06.2018 के द्वारा स्वीकृत की गयी है।

अतः जनपद चम्पावत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सतत् विकास कार्यक्रम के लिये निर्धारित लक्ष्यों के बिन्दु संख्या–02 एवं 07 में वर्णित लक्ष्यों की कुशलता से पूर्ति करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश दिनांक 06.06. 2018 के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत में कार्यरत कार्मिकों के निम्नानुसार स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाते है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
1	श्री भरत सिंह राणा	पूर्ति निरीक्षक	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, धूनाघाट	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट तथा अग्रिम आदेशों तक खाद्यान्न भण्डार, बाराकोट का अतिरिक्त कार्यभार।
2	श्री हरीश चन्द	पूर्ति निरीक्षक	रेलशीर्ष गोदाम टनकपुर एवं तहसील श्री पूर्णागिरी टनकपुर	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, धूनाघाट
3	श्री प्रकाश सिंह फर्त्याल	पूर्ति निरीक्षक	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, चम्पावत के साथ–साथ मंच एवं तामली खाद्यान्न भण्डार	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, मंच एवं तामली तथा अग्रिम आदेशों तक राजकीय खाद्यान्न भण्डार, चम्पावत का अतिरिक्त कार्यभार।
4	श्री मनोज कुमार साह	पूर्ति निरीक्षक	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट के साथ खाद्यान्न भण्डार, बाराकोट का अतिरिक्त कार्यभार	रेलशीर्ष गोदाम, टनकपुर तथा अग्रिम आदेशों तक तहसील श्री पूर्णागिरी, टनकपुर का अतिरिक्त कार्यभार।
5	श्रीमती चन्द्रकला चतुर्वेदी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट	जिला पूर्ति कार्यालय, चम्पावत।
6	श्री हेमन्त कुमार	कनिष्ठ सहायक	जिला पूर्ति कार्यालय चम्पावत	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट।

वर्तमान में जनपद में पूर्ति निरीक्षकों की कमी के दृष्टिगत क्रम संख्या–01, 03, 04 में अंकित कार्मिकों को अतिरिक्त गोदामों/कार्यालयों का कार्यभार सौंपा गया है। खाद्यायुक्त, अन्य स्तर से इस जनपद को पूर्ति निरीक्षक उपलब्ध होने पर तद्नुसार अतिरिक्त कार्यभार परिवर्तित किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निम्न निर्देश भी दिये जाते है :–

1– स्थानान्तरित कार्मिक उक्त अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत् दिनांक 12.06.2018 तक स्थानान्तरित कार्यस्थलों में कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कार्यभार हस्तान्तरण सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2– उक्त अधिनियम की धारा 22 (2) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनानी के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत।

संख्या 270 /जिपूअ/स्थान–139/2018–19 दिनांक जून 6, 2018

प्रतिलिपि– उपरोक्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

2– वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, टनकपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, चम्पावत को इस आशय से कि वह उक्त आदेश की प्रति एन0आई0सी0 की बैवसाईड में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

4– खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत/लोहाघाट/पाटी/बाराकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

5– उपजिलाधिकारी चम्पावत/लोहाघाट/पाटी/श्री पूर्णागिरी टनकपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

6– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

7– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

8– जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9– आयुक्त महोदय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

10– गार्ड फाईल।

6/6/18

जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।